International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

पंचायतीराज संस्था में महिलाजन प्रतिनिधियों की भूमिकाः एक अध्ययन

डॉ. सत्येन्द्र
प्रज्ञा सिंह

Date of Submission: 12-12-2022 Date of Acceptance: 27-12-2022

सूचक शब्द–
ग्रामपंचायत, महिलाजनप्रतिनिधि, राजनैतिकसहभागिता, आरक्षण, चुनाव।

सार–संक्षेप–
भारतीय समाजमेंवैदिककाल से लेकरआधुनिककालतकमहिलाओं ने राष्ट्र के एवंसमाज के विकासमेंअपनामहत्वपूर्ण
योगदानप्रदानकरतीआयीहै।विभिन्नप्रकार की सामाजिककुरीतियों ने समाजमेंमहिलाओं की स्थितिकोनिम्नभीबनायाहैंहालांकिबादमेंअनेकसमाजसुधारकों द्वाराउनकीसामाजिकस्थितिऔरसशक्त जीवन के लिए सकारात्मकप्रयासभीकियेगये। मुख्य रूप से महिलाओं के जीवन मेंसुधार के लिये स्वतंत्रताप्राप्ति के उपरान्तअथकप्रयासकियेगये, जिसकाकारण यह थाकिलैंगिकअसमानता से राष्ट्र का विकाससम्भवनहींहोसकताहैं।संविधान एवंसरकार द्वारालैंगिकसमानताकोविकसितकरनेहेतुविभिन्नअधिनियमों एवंअनुच्छेदों का प्रावधानकियागया।जिसमेंविशेष रूप से 73 वेंसंविधानसंशोधन के बादभारतमेंपंचायतीराजसंस्थानोंमें एक तिहाईआरक्षण का प्रावधानभी शामिलथा।जिसकाउद्देश्य महिलाओं की पंचायतीराजसंस्थानोंमेंभागीदारीको बढ़ानाथा।प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से पंचायतीराजसंस्थानोंमेंमहिलाजन–प्रतिधियों की भूमिका का अध्ययन कियागयाहैं।[1]

भारतीय समाज में प्राचीनकालसे हीमहिलाएँ, मुख्य रूप से वैदिककालसे हीविकास के प्रत्येक क्षेत्र मेंअपना योगदानप्रदानकरतीआयीहैं।वैदिककालमेंमहिलाओंकोसमान अधिकार, समानता, स्वतंत्रता केसमानअवसरप्राप्तथे।किसीप्रकार के लैंगिगअसमानता के साक्ष्य प्राप्तनहींहोतेहैं, जिससे यह स्पष्टहोताहैकिमहिलाओं कीपारिवारिक एवंराजनैतिकस्थितिप्रत्येक क्षेत्र मेंअहमभूमिकारहाकरतीथी।उत्तरवैदिककालमेंवर्णव्यवस्था के उद्भव ने महिलाओं की परिस्थितियोंमेंआमूल–चूलपरिवर्तनलादिया, जिससे स्वतंत्रता, समानता, राजनैतिकसहभागिताआदिमहत्त्वपूर्णअवसरोंकोमहिलाओं से छीनकर, समाजमेंउनकीस्थितिकोनिम्नबनादिया गया।[1]

एसोसिएटप्रोफेसर, समाजशास्त्र एवंसमाजकार्यविभाग, वनस्थलीविद्यापीठ, टोंक, राजस्थान
शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र एवंसमाजकार्यविभाग, वनस्थलीविद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

मध्यकालमेंमहिलाओं के संदर्भमेंकिसीप्रकार के ठोसकदमनहींउठाए गये, जिससे उनकेविकासमें बाधा बनीरहीऔर उनकेलियेपतन का युगरहा।इसी समय मेंअहिल्याबाई, जीजाबाई, रजिया, नूरजहाँ, चाँदबीबी, रानी लक्ष्मीबाईजैसीवीरांगनाओं ने परिस्थितियों के विपरीतजाकरमहिलाओं के रूपमेंअपनीस्थितिकोसुदृढ़ बनाया। मध्यकालमेंमहिलाओं के ऊपरअत्याचारऔरअन्याय में इस प्रकार बढ़ोत्तरीहुईकिउनसेमानवहोने का दर्जाभीछीनलियागया।इसीकालमेंसमाजमेंपुरूष वर्ग के द्वारा स्त्री कोभोगविलास की वस्तु समझा जानेलगा।उस समय समाजमेंजन्मलेरहीं, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, बालविवाहजैसीकुरीतियों ने महिलाओं की स्थितिकोअधिकनिम्नतरबनादिया।
समाजमेंमहिलाओं की स्थितिको देखतेहुए, अनेकसमाजसुधारकों द्वारासकारात्मकप्रयासकिए गए, जिसमेंराजाराममोहनराय, ईश्वरचंद्रविद्यासागर, दयानन्दसरस्वती, स्वामीविवेकानन्दआदि मुख्य रूप सेसम्मिलितथे।इसीकालकोभारत के आधुनिक युग का प्रारम्भकालमानाजाताहैं।
समाजमेंमहिलाओं की स्थितिमेंसुधार के लिये, नारीशिक्षा केमहत्त्वको समझतेहुए शिक्षा के क्षेत्र मेंअथकप्रयासकियेगये।साथहीसमाजमेंमहिलाओं की स्थितिकोनिम्नकरनेवालीसामाजिककुरीतियोंजैसे–सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, बालविवाह, बहुविवाहजैसीकुरीतियोंकोसमाप्तकरने के लिये, सामाजिकसुधारकों
द्वाराविभिन्नप्रयासकियेगये।समाजमेंमहिलाओंकोसमानस्थिति मेंलाने के लियेकुछअथकप्रयासकिये गए जैसे–संपत्ति का अधिकार, विधवापुनर्विवाह, शिक्षा का अधिकार, पर्दाप्रथापररोकआदिप्रयाससम्मिलितथे।
सामाजिकसुधारको के प्रयासों से आधुनिकभारतमेंमहिलाओं की स्थितिमेंअनेकसुधारहुए।भारत के स्वतंत्रताआंदोलनोंमें युगमेंमहिलाओं ने घर की ड्योढी पारकर,आंदोलनकारी के रूपमेंअपनायोगदानदिया। स्वतंत्रताआंदोलनों ने महिलाओंकोभारतीय

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

राजनीतिमेंसक्रिय रूप से जोड़ा।महिलाओं ने भारतछोड़ोआंदोलन, स्वदेशीआंदोलन, असहयोगआंदोलन, सविनय
अवज्ञाआंदोलनजैसेआंदोलनोंमेंअपनीराजनैतिकभागीदारीदर्ज कराकर, अपनेलियेभीसमानता व स्वतंत्रता का मार्गप्रशस्तकिया।[2]

स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढाँचेमेंमहिलाओंकोसमानस्थिति व समानअवसरउपलब्ध करानेके लिए प्रयासआरम्भकियेगये। उनके उत्थान के लिये बल दियागया।भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारामहिलाओं की स्थितिमेंसुधार के लियेसंविधान के भाग 3 मेंमौलिकअधिकारों के अंतर्गतअनुच्छेद 14 मेंविधि के समक्ष समानता,अनुच्छेद 15मेंसामाजिकसमानतातथाअनुच्छेद 16 मेंसमानअवसर की समानता की व्यवस्था की गई।साथहीसंविधानभाग 4 मेंराज्य के नीतिनिर्देशकतत्वों के अंतर्गतअनुच्छेद 40 मेंग्रामपंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई।

पंचवर्षीय योजनाओंमेंमहिलाओं की स्थितिमेंसुधार के लिए बल दियागया, साथहीमहिलाओं के उत्थान के लियेअनेकसमितियाँ का गठनभीकिया।महिलाओं के राष्ट्र व समाजमेंसमानभागीदारीहोने के बादभीउनकीस्थितिनिम्नहीरही।जिसकाकारणसामाजिकपरिस्थितियाँ ही मुख्य रूप से रही।संविधानमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के साथसामाजिक, आर्थिकतथाराजनैतिकन्याय की आवश्यकता के साथ,महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्रोंमेंभागीदारीको बढ़ाने की आवश्यकता का भीअनुभवकियागयाक्योंकिराष्ट्र विकासमेंमहिलाओंकोउपेक्षितनहींकियाजासकता था।[3]

1952 मेंउद्घटितसामुदायिकविकासकार्यक्रम की योजनाएँ जनता की भागीदारी के बिनानिरर्थकसाबितहोनेलगी।सामुदायिकविकासतथाराष्ट्रीय विस्तारसेवाकार्यक्रमोंमें ऐसीभागीदारीप्राप्तकरने के लिए एक संस्थागतढांचे का सुझाावदेने के लिए बलवंतराय मेहता की अध्यक्षतामेंमेहतासमिति का गठनकियागया। अध्ययन दल का मत थाकिगाँवस्तरपर एक ऐसी एजेंसी का निर्माणकियाजाए जोपूरेसमुदाय का प्रतिनिधित्वकरसके, उत्तरदायित्वलेंसकेतथाविकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयनकोआवश्यक नेतृत्वप्रदानकरसकें।लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्षधरबलवंतराय मेहता अध्ययन दल की सिफारिशों से सभीराज्योंमेंपंचायतीराजसंस्थाएँ गठितकरने के कार्यमेंगतिआई।इसीदौरमें शासन की एक प्रक्रिया के रूपमेंपंचायतीराज शब्दप्रचलनमेंआयाजिसकाअर्थपंचायत से लोकसभातकजनताकोजोड़ने की एक प्रणाली से था।[4]

इसीक्रममेंसरकार द्वाराग्रामीणस्तरकोकेन्द्रतकजोड़ने के लियेप्रयासकियाजानाथा, जिसकेलिये 1952 मेंसामुदायिकविकासकार्यक्रम का क्रियान्वयनकियागया, जिसकाउद्देश्य देश की सामाजिक–आर्थिकव्यवस्थामेंसुधार के लियेनियोजनकरनाथापरन्तुजनता के जागरूकता के अभावतथाभागीदारिता के अभाव के कारणसफलनहींहो पाया।[3]

सामुदायिकविकासकार्यक्रम के असफलता के कारणों की समीक्षा के लिये 1957 की अध्यक्षतामेंजाँचसमिति का गठनकियागया।मेहतासमिति के द्वारालोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव प्रस्तुतकियागया।

इसीक्रममेंनियोजितविकास
एवंग्रामीणउत्थानहेतुपंचायतीराज की शुरूआतराजस्थान के नागौरजिले से 2 अक्टूबर 1959 मेंपंडितजवाहरलालनेहरू के द्वारा द्वीप प्रज्जवलितकरके की गई।पंचायतीराजसंस्थामेंमहिलाओं की भागीदारीनहींथी, उनकीसहभागिताकोराष्ट्र के विकासमेंउपेक्षितनहींकियाजासकताथा, जिसकारण से महिलाओं कीराजनैतिकसुदृढ़ताकोसुनिश्चितकरने के लिये, पंचायतोंमेंमहिलाओंको73वेंसंवैधानिकसंशोधनके तहत् एक तिहाईभागीदारिताप्रदान की गई। 73वें संवैधानिकसंशोधन के पश्चात् पंचायतीराजमेंमहिलाआरक्षण से महिलाओं की स्थितिमेंनिरंतरपरिवर्तनरहाहैं।इससेपंचातीराजसंस्थाओंमेंमहिलाओं की राजनैतिकभागीदारितामें बढ़ोतरीहुईहै।इससेमहिलाओंमेंआत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, विकासकार्योंमेंसहभागिताआदिमेंसुधारात्मकपरिवर्तन देखनेकोमिलताहैं।इससेसभीवर्गों की महिलाओंकोसामाजिक, आर्थिकऔरराजनैतिक क्षेत्रोंमेंकार्यकरने का अवसरप्राप्तहुआ है।[5]

इसीसन्दर्भमेंअनेक शोध एवं अध्ययनरतपंचायती राज मेंमहिलाओं की भूमिका के संदर्भमेंअनेकलेखको द्वाराउल्लेखितकियागया, जिसकावर्णनकुछ इस प्रकारहैं–

मनीकक्याम्बा,पी. ने अपनीपुस्तक ***'पंचायती राज प्रणालीमेंमहिलायें'*** मेंग्रामीणविकासमेंमहिलाओं की भागीदारिता के संदर्भमेंउल्लेख कियाहैं।जिसमेंमहिलाओं के राजनीतिमेंसंरचनात्मक, कार्यात्मक, व्यवहारात्मकप्रारूपों के विषय मेंभीचर्चा की हैं।लेखक ने उल्लेख कियाहैंकिपंचायती राज मेंमहिलाओंकोग्रामीणभारत की प्रकृतितथाचर्चामेंऔपचारिक रूप से स्थान, आरक्षण, नेतृत्वप्रदानकिया हैं।[6]

अरूण,रश्मि ने अपनीपुस्तक ***'पंचायती राज मेंमहिलाओं की भूमिका'*** मेंउल्लेख कियाहैंकिमहिलाएँअधिक संख्या मेंअशिक्षितहैंपरन्तुवेप्रारम्भिकशिक्षा के साथराजनीतिमेंप्रवेशकरतीहैं।लेखिका के द्वारा अध्ययन मेंनिष्कर्षदियागयाहैंकिपंचायती राज के 73वें संवैधानिकसंशोधन द्वारामहिलाओंकोप्राप्तआरक्षण के कारणशिक्षित युवामहिलाएँ, चुनावमेंहिस्सालेकरराजनीतिमेंप्रवेशकरतीहैं, साथहीअपनी शक्तियों व अधिकारों का प्रयोगकरनेअपनीभूमिका का निर्वहनभीकरती हैं।[7]

सक्सेना,किरन ने अपनीपुस्तक ***'महिला एवंराजनीति'*** मेंमहिलाओं के राजनीतिक शक्ति के लिए कियेगयेसंघर्ष के विषय मेंचर्चा की है।जिसमेंमहिलाओं द्वाराअधिकारों व नीतियों का प्राप्तकरने के प्रयासकोउल्लेखितकियागया है।[8]

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

दत्ता,प्रभात एवंसेन,पंचाली ने पश्चिमबंगालमेंपंचायतोंमेंमहिलाओं की भूमिका का गहन अध्ययन कियाऔरनिष्कर्षदियाकि खण्डस्तरपरमहिलाओं की भूमिका के विषय मेंजानकारीप्राप्तकरनेहेतुनिर्वाचितसदस्यों के साक्षात्कारलियेगये, साथहीमहिलासशक्तिकरण की प्रक्रियाकोभीसम्मिलितकिया गया।[9]

नगेन्द्र,शैलजा ने ***'पंचायती राज मेंमहिलाओं की भूमिका'*** का अध्ययन किया।लेखिका द्वाराउल्लेखितकियागयाकिसमुदाय मेंसामाजिक–आर्थिकविकास की प्रक्रियामेंमहिलाओं की भागीदारीहैं। अध्ययन के निष्कर्षमेंलेखिका ने प्रस्तुतकियाकिसरकारभीराष्ट्र विकासमेंमहिलाओंको मुख्य धारा से जोड़ने का संघर्षपूर्णप्रयासकररहीहैं। 73वें संवैधानिकसंशोधन ने पंचायतीराजमेंमहिलाओंकोप्रभावशालीढंग से जोड़ने का प्रयासकियाहैं।साथहीमहिलाएँ सशक्तढंग से अपनेमुद्दोंपरविचार, दृष्टिकोण रखनेमें स्वतंत्र होपाई हैं।[10]

वर्मा,यादव ने अपनेलेखन ***'भारतमेंपंचायतीराजऔरमहिलासशक्तिकरण'*** मेंउल्लेख कियाहैकिभारतीय संविधानमेंलोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणापंचायतीराजव्यवस्था के माध्यम से हीविकसितहुईहैं।विश्व के सबसेबड़ेलोकतंत्र मेंजन–जन की शासन की गतिविधियोंमेंसहभागिताकोविकसितकरने का साधन हैं।[11]

शोध अध्ययनों की समीक्षा से स्पष्टहोताहैंकिपंचायतीराजमें 73वें संवैधानिकसंशोधन ने महिलाओं की राजनीतिकस्थितिकोपरिवर्तितकियाहैं।पंचायतीराजमेंमहिलाओंकोप्राप्तआरक्षण से राजनीतिमेंउनकीभागीदारीमेंवृद्धि हुईहैं, साथहीराजनीति के माध्यम से उनके विचारोंऔरदृष्टिकोणोंकोभी एक सकारात्मकप्रशस्तहुआहैं।पंचायती राज के आरक्षण से महिलाओंकोराजनीतिमेंसैद्धान्तिक रूप से स्थानतोप्राप्तहोगयाहैंपरन्तु उनके निर्णयों की उपेक्षा करकेपुरूष समाजउन्हेंभावनात्मक रूप से ठेसपहुँचारहाहैं।पंचायतीराजमेंमहिलाओंकोप्राप्तराजनैतिकस्थानकोव्यवहारिकतामेंउन्हेंप्रदानकरने की आवश्यकताहैं।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. ग्रामपंचायतमेंनिर्वाचित**महिलाजनप्रतिनिधियों** की भूमिका का अध्ययन करना।
2. निर्वाचित**महिलाजनप्रतिनिधियों**केनिर्णय प्रक्रियातथा शक्तियों व अधिकारों के संबंध मेंजानकारी का अध्ययन करना।
3. ग्रामपंचायत के विकासहेतुउपयोग की जानेवाली धनराशि एवंउससेसंबंधितवित्तीय लेन–देन केविषय में**महिलाजनप्रतिनिधियों**की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध पद्धति–

प्रस्तुत शोध के लिये शोधार्थी द्वाराउत्तरप्रदेश के सीतापुरजनपद काचुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूपमेंकियागयाहै। अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्तिहेतुउद्देश्यपरकनिदर्शनका प्रयोगकियागयाहैतथा यह शोध पत्र प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्तआकड़ोंपरसाक्षात्कारअनुसूची व प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम परआधारितहैं।

शोधार्थी के द्वाराउत्तरदाताओं के उत्तरोंको सारणी के माध्यम से उल्लेखितकियागयाहैं।जिसेसामान्य प्रतिशत के माध्यम से विश्लेषितकियागयाहै।आंकड़ोंकोप्राथमिक स्त्रातों के आधारपर शोधार्थी द्वाराप्राप्तकियागयाहै।

सारणी संख्या – 1
ग्रामपंचायतमेंनिर्वाचितमहिलाओं की भूमिका की जानकारी

क्र.सं.	ग्रामपंचायतमेंमहिलाजनप्रतिनिधि के रूपमेंआपकोअपनीभूमिका की जानकारीहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	12	40
2.	नहीं	18	60
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपरोक्त सारणी मेंग्रामसभामेंमहिलाजनप्रतिनिधियों से उनकीभूमिका के विषय मेंजानकारीप्राप्तकरने का प्रयासकियागया।इसकेअंतर्गत 40 प्रतिशतप्रतिनिधियोंकोउनकीभूमिका के विषय मेंजानकारीहैं, जिसकेअंतर्गतवेसरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामसभा के समस्याओं के निराकरण, ग्रामीणविकासमेंअपनीभूमिका का निर्वहनकररहीहैं।वहीं 60 प्रतिशतप्रतिनिधियोंकोउनकीभूमिका के विषय मेंजानकारीनहींहै, जोकि एक गंभीरविषय हैं।

इस विवरण से यह स्पष्टहोताहैंकि 73वें संवैधानिकसंशोधन के अंतर्गतआक्षरण के प्रावधान के कारणपरिवार के पुरुष वर्ग के दबावमें या उनसेप्रेरितहोकरमहिलाओं ने नामांकनतोकरादियाजाताहैऔरचुनावमेंजीतभीहासिलकरली जातीहैलेकिनशिक्षा के अभावऔरजागरूकता के अभाव के कारणउनकोअपनीभूमिका के विषय मेंजानकारीनहींहोतीहैं।उन्हेंसिर्फहस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के लियेसम्मिलितकियाजाताहैं।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

सारणी संख्या – 2
ग्रामपंचायत की बैठकोंमेंभूमिका की जानकारी

क्र.सं.	ग्रामपंचायत की बैठकोंमेंआपकीक्याभूमिकाहोतीहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विभिन्नप्रस्तावोंपरविचारकरना	5	16.66
2.	सदस्यों से गाँव की समस्याओंपरचर्चाकरना	7	23.33
3.	केवलऔपचारिकता का निर्वहन	18	60
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपरोक्त सारणी से ग्रामपंचायत की बैठकोंमेंप्रतिनिधियों के भूमिकाकोप्रदर्शितकियागयाहैं।बैठकोंमेंअनिवार्यता के कारण23 प्रतिशतप्रतिनिधियों द्वारागाँव की समस्याओंपरसदस्यों से चर्चा की जातीहैं।ग्रामपंचायत से संबंधितविभिन्नप्रकार के प्रस्तावोंपर 16.67 प्रतिशतमहिलाजनप्रतिनिधि हीअपनेविचारोंकोबैठकोंमें रखतीहैं, अन्य 60 प्रतिशत द्वाराऔपचारिकता का निर्वहनकियाजाताहै, पारिवारिकपुरुष सदस्यों द्वाराअपनेप्रस्तावोंकोमहत्वदिलायाजाताहै।गाँवसंबंधितसमस्याओंपरवेकेवलचर्चाहीकरसकतीहैंग्रामपंचायत की बैठकोंमेंजनप्रतिनिधियों की भूमिकानिर्णय निर्माण की प्रक्रियाकोभीप्रदर्शितकरतीहै, जोपुरुष वर्ग की प्रधानता के कारणउनकीसक्रिय व स्पष्टभूमिकानहींहैं।

सारणी संख्या – 3
ग्रामपंचायतमेंनिर्णय प्रक्रिया की शक्तिप्रयोग की जानकारी

क्र.सं.	ग्रामपंचायत से सम्बन्धितनिर्णय क्याआपके द्वारालियेजातेहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	05	16.66
2.	नहीं	25	83.33
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपर्युक्त सारणी मेंमहिलाजनप्रतिनिधियों से ग्रामपंचायतसे सम्बन्धितनिर्णय मेंउनकीभूमिका के सम्बन्ध मेंजानकारीप्राप्त की गई।लिखितनियमों के अनुसारग्रामसभामेंकिसीभीप्रकार का निर्णय लेने का अधिकारग्रामप्रधानकोप्राप्तहैं, उसमेंकिसीअन्य का हस्ताक्षेपनहींहोनाचाहिए। शोध के दौरान 83प्रतिशतसे अधिकजनप्रतिनिधियोंकोअपनेहीकार्यों के दायित्व के लियेनिर्णय लेने का अधिकारनहींहै।वेहस्ताक्षर के लिये एक मोहर के रूपमेंप्रयोगहोतीहैं। उनके निर्णयोंमें उनके परिवार के किसी न किसीपुरुष का हस्तक्षेपहोताहै, जो उनके पति, पुत्र, ससुरआदि के रूपमेंहोताहैं।जोभीमहिलाजनप्रतिनिधि शिक्षितहैं, वेभूमिका का निर्वहनतोकरतीहैंपरन्तुनिर्णयोंमेंकिसीपुरुष द्वाराहीप्रभावितहोतीहैं। 16प्रतिशत से अधिमहिलाएँ ही स्वयं केविवेक से निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र हैंक्योंकिउन्हेंअपने शक्तियों एवंअधिकारों के विषय मेंजानकारीहैं।

सारणी संख्या – 4
ग्रामपंचायत के वित्तीय लेन–देन की जानकारी

क्र.सं.	ग्रामपंचायतों के कार्योंमेंक्याआपकीवित्तीय लेन–देनमेंभूमिकाहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	03	10
2.	नहीं	27	90
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपरोक्त सारणी से ग्रामपंचायतों के कार्योंमें, ग्रामपंचायत के सदस्योंकोभुगतानहोनेवालेवित्तीय लेन–देनमेंउत्तरदात्रियों की भूमिका के विषय मेंजानकारीप्राप्त की गई।प्रतिनिधियों का मत हैंकिकार्यो का वित्तीय भुगतानप्रत्येकसदस्यों के खातेमेंप्रत्यक्ष रूप से कियाजाताहैं। उस वित्तीय लेन–देनमेंउन्हेंकिसीभीप्रकार की जानकारीनहींहैंक्योंकि उनके पारिवारिकसदस्यों द्वाराउन्हें खर्चकरने के लियेजोभीवित्तीय सहयोगहोताहै,

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

वहप्राप्तकरलेतीहैं।पंचायतों के वित्तीय लेन–देन की एक प्रक्रियाहैं, उसकेसम्बन्ध मेंउन्हेंकोईजानकारीनहींहैं।

सारणी संख्या – 5
पंचायत के कार्योंमें बाधकतत्त्व

क्र.सं.	पंचायतों के कार्योंमेंआनेवाली बाधाएँ कौन–कौनसीहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	वित्त	2	6
2.	कर्मचारियों का असहयोग	5	15
3.	पुरुष प्रतिनिधियों के सहयोग का अभाव	8	26
4.	अशिक्षा	5	15
5.	गाँव की राजनीति	10	35
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपरोक्त सारणी मेंपंचायतों के कार्योंमेंआनेवालीप्रमुख बाधाओं के संबंध मेंउल्लेख कियाजाताहैं।जिसमें 6प्रतिशत से अधिकप्रतिनिधियों ने बतायाकि समय से वित्तीय सहायता न मिलने के कारणग्रामपंचायतोंमेंचलरहेंकार्योंकोरोकनापड़ताहैं, जोग्रामीणविकासमें बाधा पहुँचाताहै, साथहीजोसदस्य उनमेंकार्यकररहेंहोतेहैं, उनकोभीप्रभावितकरताहैं।प्रतिनिधियोंकोवित्तीय बाधाप्रभावितनहींकरतीहैंक्योंकिग्रामपंचायत के सदस्यों द्वाराकार्य का क्रियान्वनहोताहैं, वेवित्तीय व्यवस्थाहोने का इंतजारकरतेहैं।15प्रतिशतप्रतिनिधियों ने शासकीय अधिकारियों के असहयोग की बातकही, जिसमेंउन्होंनेजागरूकताऔरअशिक्षा के अलावा एक महिलाप्रतिनिधि के रूपमेंअधिकारियों द्वाराउनकोउपेक्षितकियाजाताहैं।महिलाजनप्रतिनिधि होने के कारण8प्रतिशत से अधिकमहिलाओंकोपुरूष वर्ग के सदस्योंकोआवश्यक सहयोगप्राप्तनहींहोताहैं, वेमहिलाओं के मत कोमहत्वनहींदेतेहैं।15 प्रतिशत से अधिकअशिक्षा औरगुटबाजीभी उनके कार्योंमें बाधा पहुँचाने का कार्यकरतीहैं।35प्रतिशत से अधिकगाँव की राजनीति, उसेहीप्रभावितनहींकरतीहैं, जिसकीवेअवहेलनाकरतेहैं।गुटबाजी के कारणग्रामप्रतिनिधि के विरोध मेंआवेदनपत्र डालेजातेहैं, जो बाधा पहुँचातेहैं।

सारणी संख्या – 6
महिलाप्रतिनिधि के रूपमेंसशक्तिकरण

क्र.सं.	क्यामहिलाप्रतिनिधि के रूपमेंआपस्वयंकोसशक्तमहिला के रूपमें देखतीहैं?	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	04	13.33
2.	नहीं	26	86.66
	योग	**30**	**100**

स्त्रोत–प्राथमिक स्त्रोतपरआधारित

उपरोक्त सारणी मेंमहिलाप्रतिनिधि के रूपमेंमहिलाओं के उनके सशक्तहोने के संबंध मेंजानकारीप्राप्त की गई। 13प्रतिशत से अधिकमहिलाएँ स्वंय कोसशक्तमानतीहैंक्योंकिवहग्रामपंचायत के महिलाप्रतिनिधि के रूपमेंभूमिका का निवर्हनकरतीहैं।वहअपनानिर्णय व मत दोनोंहीदेतीहैंलेकिनकहीं न कहींलैंगिकअसमानता का अनुभवभीकरतीहैं। 86प्रतिशत से अधिकप्रतिशतमहिलाएँ स्वंय कोपुरूषवर्ग की कठपुतलियाँ मानतीहैं, उनका मत हैंकिअशिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारणपुरूष वर्गउनके शक्तियोंऔरअधिकारों का प्रयोगपारिवारिकसदस्य करतेहैंजोकिपुरूषहोतेहैं।साथहीसमाजमेंमहिलाओं की शक्तिऔर क्षमताको कम आंकाजाताहैं।ग्रामपंचायत के मुखियाहोने के बादभी उनके विचारों, निर्णयोंकोमहत्वनहींदियाजाताहैं, कईबारतोउनका मत भीपूछानहींजाताहै।बैठकोंमेंउनकीउपस्थितअनिवार्यहोतीहैं, जिसकारण से वेसाम्मिलितहोतीहैंअन्यथाउन्हेंहस्ताक्षर के लिये एक कागज़ीमोहर की तरहमहत्वदियाजाताहैं।महिलाप्रतिनिधियों का मत हैंकिजबउन्हेंकिसीभीप्रकार के निर्णय का अधिकारनहींहैंतोवे स्वंय कोसशक्तकैसें कह सकतीहैं।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत शोध पत्र में ''पंचायतीराजसंस्थामेंमहिलाजनप्रतिनिधियों की भूमिका'' के संबंध मेंजानकारीप्राप्तकरने का प्रयासकियागयाहै।महिलाजनप्रतिनिधियोंमें शक्तियों, अधिकार, आरक्षणआदि के संबंध मेंजागरूकता के अभाव

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 2, Issue 5, Non.-Dec. 2022, pp: 587-592 www.ijhssm.org

के कारणजानकारी का अभावहैं, जिसकाकारणअशिक्षा, गरीबी, पितृसत्तात्मकव्यवस्था, परम्परागतमूल्य, पुरूष प्रधानसमाजआदिहैं।पंचायतीराजमहिलासशक्तिकरणनेतृत्व एवंमहिलाविकासमेंअत्यंतमहत्वपूर्णकड़ीहै।
देश के प्रशासन की सबसेमहत्वपूर्णऔरजनता से जुड़ीइकाई के रूपमेंपंचायतीराजव्यवस्था की अहमभूमिकारहतीहैं।पंचायतस्थानीय विकास की गतिकोआगे बढ़ाने का वाहकहोतीहै, इनपंचायतोंमेंपिछड़ीजातियोंजैसेअनुसूचितजातियों की महिलाओंकोउचितप्रतिनिधित्वदेने के कार्यकोवास्तविकबनाने के लियेपंचायतों की प्रशासनिकइकाईयोंजैसेग्रामसभा, ग्रामपंचायतोंऔरउनकीसमस्याओंतथाउनकावित्तीय प्रबंधनमहिलाओं के लियेसरलनहींहैंक्योंकिआजभीगाँवोंमेंमहिलाओं की शिक्षा का स्तरबहुतनीचाहैऔरसाथहीसाथपुरुषों की सामाजिकस्थितिउच्चहोने के कारणभीमहिलाएँ अपनीपंचायतव्यवस्था के प्रतिअज्ञानताऔरकार्यप्रणालियों की जानकारीकोप्राप्तकरउनकाउपयोगअन्य महिलाओं के लिए करनेमेंअसमर्थरहीहैंपरन्तुसरकार की प्रतिबद्धतातथामहिलाओं की स्वयंकोआगे बढ़ाने की पहल से हीमहिलाएँ पंचायती राज व्यवस्थामेंअपनीभागीदारी से महिलाओंकोसामाजिकतथाआर्थिकआधारोंपरसमानतादिलाने की दिशामेंआगे बढ़ेगी।महिलाओंकोशिक्षितहोने के साथ–साथआर्थिक रूप से आत्मनिर्भरहोने की आवश्यकताहै।

सन्दर्भ–

1. शर्मा, रेखा,ग्रामीणमहिलायें एवंपंचायती राज, रावतप्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ.सं. 1–5
2. शर्मा, राकेश, पंचायती राज तबऔरअब, जाहन्वीप्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 105–107
3. डंदपालंउइंए च्ॅवउमद पद च्ंदबींलंजप त्ंजतनबजनतमए ळलंद च्नइसपीपदह भ्वनेमए क्मसीपए 1989
4. मैथ्यू, जॉर्ज, भारतमेंपंचायती राज : परिप्रेक्ष्य औरअनुभव, वाणी प्रकाशन, नईदिल्ली, 2003, पृ.सं. 1–15
5. अरूण, रश्मि, पंचायती राज मेंमहिलाओं की भूमिका,
6. ैगेमदंए ज्ञपतंदए ॅवउमद ंदक च्वसपजपबेए ळलंद च्नइसपीपदह भ्वनेमए क्मसीपए 2000
7. क्नजजंए च्तंईींज ंदक ैमदए च्ंदबीसपए ॅवउमद ंदक च्ंदबींलंजे पद ॅमेज ठमदहंस रू ।द मगचसवतंजवतल ैजनकलए क्ंेनचजं – ब्वउचंदलए ज्ञवसांजंए 2003
8. छंहमदकतंए ैींपसरंए त्वसम वि ॅवउमद पद च्ंदबींलंज त्ंरए ।ठक् च्नइसपीमतए श्रंपचनतए 2006
9. वर्मा, विजय कुमार एवंसुनिता यादव, ''भारतमेंपंचायती राज औरमहिलासशक्तिकरण'', राधा कमल मुखर्जी : चिंतनपरम्परा, वर्ष 12 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2015, पृ.सं. 67
10. कटारिया, कमलेश, नारी जीवन : वैदिककाल से आजतक, यूनिकट्रेडर्स, जयपुर, 2003
11. शर्मा, वीरेन्द्रप्रकाश, रिसर्चमेथडॉलॉजी, पंचशीलप्रकाशन, जयपुर, 2012
12. सिंह, निशान्त, महिलाराजनीतिऔरआरक्षण, ओमेगापब्लिकेशन्स, नईदिल्ली, 2010
13. आहूजा, राम, सामाजिकसर्वेक्षण एवंअनुसंधान, रावतपब्लिकेशन्स, जयपुर, 2003
14. बंसल, वंदना, पंचायती राज मेंमहिलाभागीदारी, कल्पजपब्लिकेशन, दिल्ली, 2004
15. ैतपअंजंअं ैनीउं ॅवउमद ंदक क्मअमसवचउमदजए ।तरनद च्नइसपीपदह भ्वनेमए क्मसीपए 2008
16। सिंह, मनोजकुमार, पंचायती राज एवंग्रामीणविकास, अर्जुनपब्लिशिंगहाऊस, नईदिल्ली, 2018
17. विश्वकर्मा एवंचौधरी, भारतमेंपंचायतीराज का उद्भव एवंविकास, पुष्पांजलिप्रकाशन, दिल्ली, 2019
18. डवींदजलए ठपकीनजए ॅवउमद ंदक च्वसपजपबंस म्उचवूमतउमदजए क्तनबामत प्देजपजनजपवदए ैण्।ए 2000
19। टपकलंए ज्ञण्ब्ए च्वसपजपबंस म्उचवूमतउमदज वि ॅवउमद ंज जीम हतेंतववजेए ड्ढंदपीां च्नइसपीपदह भ्वनेमए 2008
20. ज्ञनतनीमजतंए ष्ब्ंदबींलंजप त्ंरैलेजमउ जवूंतक बींदहपदह त्नतंस प्दकपंष्ए श्रंदनंतल 2021ए च्28